



न्यायालय माननीय राजस्व पण्डित पद्धपुदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:-

१२०१७ निगरानी R 963 - फ १८

- १- राजाराम पुत्र रामनिहोर पटेल,
 - २- जगदीश पुत्र अग्नू लोन्निया,
 - ३- शिवप्रसाद पुत्र जगदीशलोन्निया,
 - ४- वंशपति पुत्र जगदीश लोन्निया,
 - ५- शिवमूरत पुत्र जगदीश लोन्निया,
 - ६- जानकी प्रसाद पुत्र माधवप्रसाद,
- समस्त निवासीगण - ग्रामकांफ, तैहसील-
रामपुर नैकिन, जिला सीधी-पद्धपुदेश।

— प्राथीगण

बिराघद

रामाश्रम नाई पुत्र बदारिका प्रसाद नाई,
निवासी ग्राम माधका तैहसील रामपुर नैकिन,
जिला सीधी-पद्धपुदेश।

— प्रतिप्राधी

निगरानी बिराघदवादेश एस०डी०ब०० महोदय रामपुर नैकिन जिला सीधी
दिनांकी १०-०३-२०१७, अन्तर्गत धारा ५० पद्धपुदेश भू-राजस्व सहिता,
१६५६। प्र०क्र० २८३।१५-१६ अप्र०।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, एस०डी०ब०० महोदय की आशा कानून सही नहीं है।
- २- यह कि, एस०डी०ब०० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी
स्थिति को सही नहीं समझा है।

(52)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवासि आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक १२-१६३/२१८

२०२१/२२१ । २०२१/४२१

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
४/११९	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>रमेश कुमार शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुबिभागीय अधिकारी <u>मुख्यमंत्री</u> के प्रकरण क्रमांक <u>२८३/१५१६/३२८१</u> में पारित आदेश दिनांक <u>१०-३-१८</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>२१८१</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>२४)४।१९</u> को कलेक्टर जिला <u>२१८१</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>म.प्र.</u> सदस्य</p> 	